क्रम-संख्या—539

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 7 अक्तूबर, 1977

आश्विन 14, 1899 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 2911 / सत्रह-वि०-1--72-77

लखनऊ, 7 अक्तूबर, 1977

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1977 पर दिनांक 7 अक्तूबर, 1977 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1977 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1977

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1977)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 में अग्रतर संशोधन और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में परिणामिक संशोधन करने के लिए

अधिनियम :

भारत गणराज्य के अट्ठाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1977 कहा जायगा ।

(2) यह 8 अगस्त, 1977 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

अध्याय—दो

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 का संशोधन

उ० प्र० अधिनियम सं० 8, 1952 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ख) निकाल दिया जायगा ।

धारा 41 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 41 में, खण्ड (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(1) सम्बद्धता के प्रयोजनार्थ होम्योपैथिक शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना और ऐसी मान्यता का निलम्बित करना या वापस लेना;

(2) बोर्ड से सम्बद्ध संस्थाओं में होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान की ऐसी शाखाओं में जिन्हें बोर्ड उचित समझे, सामान्य शिक्षण या विशेष या प्रबोधन पाठ्यक्रम के लिये विषयों की पढ़ाई और पाठ्यक्रम निर्धारित करना ;

(3) परीक्षायें लेना, और उन व्यक्तियों को, जिन्होंने बोर्ड से सम्बद्ध संस्थाओं में पाठ्यक्रम का सफलतापूर्वक अध्ययन किया हो, डिप्लोमा प्रदान करना;

(3-क) बोर्ड से सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा निवास स्थान तथा अनुशासन के सम्बन्ध में किये गये प्रबन्धों का सामान्य पर्यवेक्षण करना और उनके विद्यार्थियों के स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिए प्रबन्ध करना ;"

धारा 41-क, 41-ख और 41-ग का निकाला जाना

4—मूल अधिनियम की धाराएं 41-क, 41-ख और 41-ग निकाल दी जायेंगी ।

धारा 53 का प्रतिस्थापन

5—मूल अधिनियम की धारा 53 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"53—(1) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1977 के बोर्ड के प्रशासन प्रारम्भ होने की तारीख से बोर्ड के सभी मेम्बर जिसमें चेयरमैन और की अल्पकालिक वाइस चेयरमैन भी सम्मिलित हैं, अपना ऐसा पद रिक्त कर देंगे, और उक्त व्यवस्था तारीख से दो वर्ष की अवधि तक ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सरकार समय-समय पर इस निमित्त नियंत्रक नियुक्त करे, यथाशक्य बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा और उसे सभी प्रयोजनों के लिए बोर्ड समझा जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उक्त अवधि को एक वर्ष के लिये बढ़ा सकती है ।

(2) राज्य सरकार परीक्षायें लेने और परीक्षकों की नियुक्ति करने और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करने में, जो अधिसूचित किये जायें, नियंत्रक को सहायता देने के लिये परीक्षा समिति नियुक्त कर सकती है ।"

नई धारा 53-ख का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 53-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

राज्य सरकार की अतिरिक्त शक्तियां

"53-ख—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित विश्वविद्यालय अर्थात् आगरा विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय में से किसी को होम्योपैथी में परीक्षा लेने और डिप्लोमा प्रदान करने का प्राधिकार दे सकती है ।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे विश्वविद्यालय को बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों में परीक्षा लेने का कृत्य, ऐसी तारीख से, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, अपने हाथ में लेने का प्राधिकार दे सकती है और तदुपरान्त इस निमित्त बोर्ड की शक्तियां और कृत्य समाप्त हो जायेंगे ।

(3) राज्य सरकार, उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को प्रभावी बनाने के लिये अधिसूचित आदेश द्वारा इस अधिनियम में ऐसे अनुकूलन कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे ।"

7— मूल अधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (1) में, द्वितीय परन्तुक निकाल दिया जायगा । धारा 55 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 56 में, उपधारा (2) में, खण्ड (थथ) निकाल दिया जायगा । धारा 56 का संशोधन

अध्याय—तीन

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का संशोधन

9—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:— राष्ट्रपति अधिनियम सं० 10, 1973 की धारा 5 का संशोधन

"(5) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, संपूर्ण उत्तर प्रदेश की होम्योपैथिक शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थायें आगरा विश्वविद्यालय या कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध की जा सकती है ।"

10—मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :— नई धारा 7-क का बढ़ाया जाना

"7-क—उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 के अधीन कुछ विश्वविद्यालय की अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार दिये जाने पर यथा-अतिरिक्त शक्तियां स्थिति आगरा विश्वविद्यालय या कानपुर विश्वविद्यालय— और कर्तव्य

(क) होम्योपैथिक में परीक्षाएं लेगा और डिप्लोमा प्रदान करेगा,

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन गठित होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा लेने और डिप्लोमा प्रदान करने का कार्य करेगा और उक्त परीक्षाओं को लेने और डिप्लोमा प्रदान करने के निदेश में उक्त अधिनियम के अधीन गठित ऐसे बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा ।"

अध्याय—चार

संक्रमणकालीन उपबन्ध

11—इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 की धारा 41-क की उपधारा (5) के अधीन, जैसी की वह धारा 4 द्वारा निरसित किये जाने के पूर्व थी, स्थापित संकाय फण्ड में जमा धनराशि उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन स्थापित होम्योपैथिक फण्ड में अन्तरित हो जायेगी । संकाय फण्ड का होम्योपैथिक फण्ड में अन्तरण

अध्याय—पांच

प्रकीर्ण

उ० प्र० अध्यादेश सं० 1 1977

12—(1) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियमों के तत्सम उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त था ।

No. 2911(2)/XVII-V-1 -72-77

Dated Lucknow, October 7, 1977

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Sanshodhan) Adhiniyam, 1977 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 1977), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 7, 1977:

THE UTTAR PRADESH HOMOEOPATHIC MEDICINE (AMENDMENT) ACT, 1977

[U. P. Act No. 14 of 1977]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1951 and to make consequential amendments in the U. P. State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-eighth Year of the republic of India as follows :—

CHAPTER I

Preliminary

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Amendment) Act, 1977.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 8, 1977.

CHAPTER II

Amendment of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1951

Amendment of section 2 of U.P. Act 8 of 1952.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1952, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, clause (*bb*) shall be *omitted*.

Amendment of section 41.

3. In section 41 of the principal Act, *for* clauses (1) and (2), the following clauses shall be *substituted*, namely :—

"(1) to recognise homoeopathic educational or instructional institutions for purposes of affiliation and to suspend or withdraw such recognition ;

(2) to prescribe courses of study and curriculla for general instruction or special or refresher courses in institutions affiliated to the Board in such branches of the Medical Science of Homoeopathy as the Board may think fit ;

(3) to hold examinations, and to grant diplomas to persons who shall have successfully pursued a course of study in the institutions affiliated to the Board ;

(3-A) to exercise general supervision over the residence and disciplinary arrangements made by the educational institutions affiliated to the Board and to make arrangements for promoting the health and general welfare of their students ;".

Omission of sections 41-A, 41-B and 41-C.

4. Sections 41-A, 41-B and 41-C of the principal Act, shall be *omitted*.

Substitution of section 53.

5. *For* section 53 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"53. (1) With effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Amendment) Act, 1977, all members of the Board including the Chairman and the Vice-Chairman shall vacate their offices as such and for a period of two years from the said date such person as the State Government may, from time to time, appoint in that behalf as controller, shall exercise and perform, so far as may be, the powers and duties of the Board and shall be deemed to be the Board for all purposes :

Temporary provisions regarding administration of the Board.

Provided that the State Government may by notification extend the said period by one year.

(2) The State Government may appoint an Examination Committee to aid the Controller in the matters of holding examinations and appointing examiners and performing such other functions as may be notified."

Insertion of new section 53-B.

6. *After* section 53-A of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"53-B. (1) The State Government may, by notification, authorise any of the following Universities, namely the University of Agra and the Kanpur University, to hold examination for, and grant diplomas in, Homoeopathy.

Additional power of the State Government.

(2) The State Government may, by notification authorise such University to take over the function of holding of examinations for courses prescribed by the Board with effect from such date as may be specified in the notification, and thereupon the powers and functions of the Board in that behalf shall cease.

(3) The State Government may, for giving effect to the notifications referred to in sub-section (1) or sub-section (2), by notified order make such adaptations in this Act as it may think fit."

Amendment of section 55.

7. In section 55 of the principal Act, in sub-section (1), the second proviso shall be *omitted*.

Amendment of section 56.

8. In section 56 of the principal Act, in sub-section (2), clause (*qq*) shall be *omitted*.

CHAPTER III

Amendment of the U. P. State Universities Act, 1973

Amendment of section 5 of President Act 10 of 1973.

9. In section 5 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, *after* sub-section (4), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the homoeopathic educational or instructional institutions throughout Uttar Pradesh may be affiliated to the University of Agra or the Kanpur University."

Insertion of new section 7-A.

10. *After* section 7 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"7-A. Upon being authorised by the State Government by notification under the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1951, the University of Agra or the Kanpur University, as the case may be, shall—

Additional power and duties of certain Universities.

(*a*) hold examinations for and grant diplomas in, Homoeopathy,

(*b*) take over the functions of holding of examinations for courses prescribed by the Board of Homoeopathic Medicine constituted under the said Act and granting diplomas, and exercise and perform all the powers and functions of such Board under the said Act with respect to holding of such examinations and granting of diplomas."

CHAPTER IV

Transitory provisions

Transfer of Faculty Fund to Homoeopathic Fund.

11. With effect from the date of commencement of this Act the monies credited to the Faculty Fund established under sub-section (5) of section 41-A of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1951, as it stood before its repeal by section 4, shall stand transferred to the Homoeopathic Fund established under section 44 of the said Act.

CHAPTER V

Miscellaneous

Repeal and savings.

U. P. Ordinance no. 14 of 1977.

12. (1) The Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Amendment) Ordinance, 1977 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Acts as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Acts as amended by this Act, as if this Act were in force at all material times.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।

पो० एस० यू० पी०—ए० पी० 157 सा० (विधायिका)—7-10-77—(2230)—1977—780 (मेके०)